

राजश्री बनाम सरकार
प्रा.पत्र सं. 39/2019
जीसीएमएस नं. 2019-00128
सोनेली खाता संख्या 359 में वर्णित खसरान 831/628, 832/629 में दर्ज नाम राजश्री पत्नी
अशोक शर्मा के स्थान पर वास्तविक शीला शर्मा पत्नी अशोक शर्मा दुरुस्त/दर्ज किया जाना
अव्ययचित प्रतीत होता है।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान
से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88,
136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये
जाते है कि वे ग्राम सोनेली तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 359 में दर्ज नाम
राजश्री पत्नी अशोक शर्मा जाति-ब्राहमण साकिन देह खातेदार के स्थान पर शीला शर्मा पत्नी
अशोक शर्मा जाति-ब्राहमण साकिन देह खातेदार तहसील-जायल दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड
अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।



Handwritten signature
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल